संख्या–231/9–आ––1–99

प्रेषक,

**श्री रामबृक्ष प्रसाद,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1. उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
**2. आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक 01 फरवरी, 1999

**विषय, विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों को खेलकूद मैदान के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1704/9–आ–1–96 दिनांक : 19 अप्रैल, 96 को ऑशिक रूप से संशोधित करते हुए मूझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कतिपय नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) नर्सरी/प्राइमरी, माध्यमिक व डिग्री कालेज आदि के लिए मानकों के आधार पर भवन निर्माण हेतु भूमि पूर्व व्यवस्थानुसार सेक्टर दर के 40 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) इन शैक्षिक संस्थाओं के मानकों के अनुसार न्यूनतम खेल के मैदान के लिए अलग से भूमि उपलब्ध करायी जाएगी और यह भूमि इस योजना के ओपेन स्पेस/हरित पट्टी में समायोजित होगी। यह भूमि विद्यालय को लाइसेन्स पर केवल खेलके मैदान के लिए रू0 1.00 प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष की दर पर लाइसेन्स फीस पर दी जायेगी। इस भूमि पर केवल खेल के मैदान हेतु आवश्यक निर्माण अनुमन्य होगा, जो 2 प्रतिशत की सीमा से अनाधिक होगा। उपयोग के संबंध में अन्य शर्तें वही होगी जो ग्रीनवेल्ट/ओपेन सरफेस के लिए महायोजना में निर्धारित हो। यह लाइसेन्स 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और विद्यालय जारी रखने तक, शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में प्रत्येक 10 वर्ष बाद नवीनीकृत किया जाएगा।

(3) उपरोक्त व्यवस्था भविष्य में नियोजित की जाने वाली योजनाओं में की जाएगी। साथ ही वर्तमान योजनाओं में भी लागू किया जाएगा, यदि खेल के मैदान के समतुल्य ओपेन स्पेस/ग्रीनवेल्ट उपलब्ध हो। वर्तमान में खेल मैदान हेतु निर्धारित भूमि को उसी योजना में उपलब्ध ओपेन स्पेस/ग्रीनवेल्ट से समायोजित करने पर इस क्षेत्रफल के बराबर ग्रीनवेल्ट का उपयोग सार्वनिक/सामुदायिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

(4) इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि योजना के प्रारम्भ में सामुदायिक सुविधाओं को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल से इण्टर कालेज तक की शैक्षणिक संस्थाओं को योजना के प्रारम्भिक 5 वर्ष में भूमि आवंटन व तदोपरान्त 2 वर्ष तक निर्माण करने तथा नर्सिंग होम प्रथम 5 वर्ष में चालू कराने पर निम्नानुसार दर के आधार पर मूल्य देयता संशोधित करते हुए अन्तर धनराशि वापस की जाएगी :–

(1) **प्राइमरी एव नर्सरी स्कूल, जू0हा0 स्कूल, इण्टर कालेज**

| कालेज | दर |
|---|---|
| (अ) योजना प्रारम्भ होने की तिथिसे 3 वर्ष तक। | (अ) रिहायशी भूखण्ड की दर के 25 प्रतिशत पर। |
| (ब) 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। | (ब) रिहायशी भूखण्ड दर के30: प्रतिशत पर। |
| (स) 5 वर्ष के उपरान्त। | (स) रिहायशी भखण्ड की दर के 40: प्रतिशत पर। |

**(2) नर्सिंग होम**

| | |
|---|---|
| (अ) योजना प्रारम्भ होने के 5 वर्ष तक। | (अ) रिहायशी भूखण्ड की दरों पर। |
| (ब) योजना प्रारम्भ होने के 5 वर्ष के बाद। | (ब) नीलामी द्वारा। |

5. शासनादेश संख्या–1704/9–आ–1–98, दिनांक– 19.04. 1996 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा त पढ़ा जाए। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें/व्यवस्था यथावत रहेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**रामबृक्ष प्रसाद**
संयुक्त सचिव

संख्या–231(1)/9–आ–1–99 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1). आयुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
(2). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
(3). आवास बन्धु–2/3

आज्ञा से,

**रामबृक्ष प्रसाद**
संयुक्त सचिव